(214)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

ए0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4090-एक/2016 - विरूद्ध - आदेश दिनॉक 6-12-2016 - पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी सागर - प्रकरण कमांक 30 अ-67/2015-16

जयकुमार यादव पुत्र माखन यादव
निवासी मुहाल नं. 2 सादर बाजार
सागर, तहसील एंव जिला सागर ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री अनिल चौबे)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री राजेश त्रिवेदी)

आ दे श

(आज दिनॉक 14-8-2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण कमांक 30 अ-67/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 6-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि खनिज निरीक्षक सागर ने अनुविभागीय अधिकारी, सागर को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक व्दारा मौजा मबोसा स्थित भूमि खसरा नंबर 35 रकबा 0.001 हैक्टर (60 घनमीटर) में अवैध उत्खनन किया है जिसका बाजार मूल्य 30,000/- रूपये है एंव इस पर अर्थदण्ड की राशि 1,20,000/- अधिरोपित होती है जो की जावे। अनुविभागीय अधिकारी सागर ने प्रकरण

कमांक 30 अ-67/2015-16 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदक ने बचाव में लेखी उत्तर प्रस्तुत किया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी सागर ने आदेश दिनांक 6-12-2016 पारित किया तथा आवेदक पर अवैध उत्खनन् करना मानकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 247 (7) के अंतर्गत 60 घनमीटर मिटटी/मुरम का अवैध उत्खनन मानकर 30,000/- रूपये बाजार मूल्य निर्धारित करते हुये इस राशि की चारगुणा अर्थदण्ड की राशि 1,20,000/- अधिरोपित कर वसूली के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण कमांक 30 अ-67/2015-16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि खनिज निरीक्षक ने प्रतिवेदन दिनांक 15-2-16 प्रस्तुत कर बताया है कि आवेदक ने मौजा मबोसा स्थित भूमि खसरा नंबर 35 रकबा 0.001 हैक्टर से (60 घनमीटर) मुरम (30X2X1मी.) से अवैध उत्खनन किया है जिसकी बाजारू कीमत 30,000/-रू. है और इस तीस हजार रूपये के उत्खनन् को अर्थदण्ड के रूप में चार गुणा करके एक लाख बीस हजार रू. वसूली के आदेश दिये जॉच। कारण बताओ नोटिस दिनॉक 18-2-16 जारी होने के वाद ग्रामीण राजेश यादव ने दिनॉक 20-4-16 को आवेदन देकर अनुविभागीय अधिकारी को बताया है कि जहॉ से मुरम खोदना बताया जा रहा है प्रथमतः उस स्थल का पटवारी ने सीमांकन नहीं किया है जबकि मुरम खोदना बताये गये स्थल पर उपर से ढबरी का पानी आता है और जो गडडा बना है वह वह खुदाई का नहीं है अपितु पानी के कटाव से गडडा बना है जिसका कारण फोर लेन निर्माण के समय निर्माण वालों ने पानी

के लिये तालाब बनाया था। कारण बताओ नोटिस दिनॉक 18-2-16 का उत्तर देते हुये आवेदक ने बताया है कि उसके व्दारा कोई अवैध उत्खनन नहीं किया है अपितु उत्तर की ओर से वारिस के पानी के उपर से आने के कारण एंव ढलान होने से बाजू में कटाव से गडडा बना है तथा बहादुर यादव यहॉ क्रेशर लगाना चाहता था , जो नहीं लगने दी जिसके कारण यही व्यक्ति झूॅठी शिकायतें कर रहा है।

ग्रामीण राजेश यादव के आवेदन में वर्णित तथ्य एंव आवेदक व्दारा कारण बताओ नोटिस के बचाव में प्रस्तुत लेखी उत्तर के तथ्यों के सम्बंध में अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमांक 30 अ-67/ 2015-16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों का न तो पुष्टिकरण कराया है और न ही स्वयं् स्थल निरीक्षण किया है। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनॉक 6-12-16 खनिज निरीक्षक सागर के प्रतिवेदन पर से पारित किया गया है जिसके कारण ऐसा आदेश दूषित प्रक्रिया पर आधारित है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी सागर ने शासन पक्ष की साक्ष्य अंकित की है। साक्षी पॅचू पुत्र चेतु अहिरवार ने बताया है कि खनिज निरीक्षक एंव पटवारी मौके पर गये थे । मेरे पंचनामा पर हस्ताक्षर कराये थे। पंचनामा में क्या लिखा था मुझे मालूम नहीं है। यही साक्षी प्रतिपरीक्षण में बताता है कि उसे नहीं मालूम कि जयकुमार व्दारा मुरम खोदने के गडडे कराये गये हैं। साक्षी रमेश पटैल ने बताया है कि दिनांक 13-2-16 को बहादुर यादव व्दारा की गई शिकायत की जांच हुई थी 108/1 पर पूर्व से तालाव निर्मित है नवीन उत्खनन स्थल का माप मेरे व्दारा किया गया था । हलका पटवारी सुभाष चन्द्र यादव ने कथनों में इतना बताया है कि वह खनिज निरीक्षक के साथ मौके पर गया था एंव पंचनामा पर हस्ताक्षर किये है ग्राम के पटवारी ने उत्खनन के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया है। स्पष्ट है कि शासन पक्ष की साक्ष्य के कथनों से यह प्रमाणित नहीं हो

सका है कि आवेदक ने ही उपरोक्त आये तथ्यों अनुसार अवैध उत्खनन कर गड्डा बनाया है इसके विपरीत आवेदक यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि फोर लेन निर्माण के समय निर्माण वालों ने पानी के लिये तालाब बनाया था, मुरम खोदना बताये गये स्थल पर उपर से ढबरी का पानी आता है और जो गडडा है वह वह खुदाई का नहीं है अपितु पानी के कटाव से गडडा है। इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आवेदक के विरूद्ध अवैध उत्खनन करना मानकर उस पर 30000/- रू. का अवैध उत्खनन करना तथा चौगुणी राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित करना न्याय की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 30 अ-67/15-16 में पारित आदेश दिनांक 6-12-2016 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 30 अ-67/15-16 में पारित आदेश दिनांक 6-12-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर